आरईसी लिमिटेड

# सार्वजनिक और विनियामक निकायों के साथ जिम्मेदारीपूर्ण प्रतिपालन हेतु नीति

(दिनांक 31.05.2024 को आयोजित 515वीं बोर्ड की बैठक में निदेशक मण्डल के द्वारा अनुमोदित)

## 1. प्रस्तावना

आरईसी लिमिटेड (जिसे आगे "आरईसी", "हम", "हमें", "हमारा" कहा जाएगा), समय-समय पर विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निकायों, नियामक प्राधिकरणों, विधायी संस्थाओं और उद्योग संघों के साथ लगातार जुड़ता है। आरईसी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बिजली क्षेत्र से संबंधित मामलों पर सार्वजनिक जागरूकता भी बढ़ाता है। आरईसी इन हितधारकों के साथ जुड़ते समय जिम्मेदारीपूर्ण प्रतिपालन हेतु प्रतिबद्ध है।

अपनी क्षमता में, आरईसी भारत में विविध क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के साथ सरकारी निकायों, नियामकों, विधायी निकायों और उद्योग संघों को शामिल करते हुए विभिन्न हितधारकों को सिफारिशें और प्रतिनिधित्व करता है। आरईसी केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी), स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़ (स्कोप) और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे औद्योगिक संघों का सदस्य है।

## 2. फ्रेमवर्क

आरईसी का निदेशक मण्डल और आरईसी के वरिष्ठ अधिकारी विद्युत क्षेत्र से संबन्धित विभिन्न नीतियों को बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित समितियों और कार्य समूहों में भूमिका निभाते हैं।

किसी भी सार्वजनिक नीति प्रतिपालन चर्चा में भाग लेते समय, आरईसी अपने सार्वजनिक संचार, आचार संहिता और आवश्यक नियामक ढांचे में उल्लेखित सिद्धांतों के साथ प्रकटीकरण की स्थिरता सुनिश्चित करता है।

नीति और विनियामक मामलों पर संघर्ष के बजाय आम सहमति, सहयोग, अनुपालन, अनुनय और सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना हमारा सर्वोत्तम प्रयास होगा। आरईसी सुनिश्चित करेगा कि उसकी नीति प्रतिपालन की स्थिति सार्वजनिक हितों का विस्तार करें, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा दे और इस प्रकार किसी भी नीति परिवर्तन का प्रतिपालन अपने या पक्षपातपूर्ण प्रकार से चुनिन्दा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं करेगी।

आरईसी नीति के गैर-अनुपालन के मामलों की जांच करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र लागू करेगा। यदि आवश्यक हो, तो कंपनी नीति के गैर-अनुपालन के किसी भी दोषी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।

इस नीति की निरंतर उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार इसे अद्यतन किया जाएगा।

****